

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 1970/साध 2. 1891

No. 29]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1970/MAGA 2, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January 1970

S.O. 322.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 484 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-2-1970 as the date on which the measured rate system will be introduced in REWARI Telephone Exchange, Punjab Circle.

[No. 5-23/70-PHB(4).]

C. A. CORNELIUS,

Senior Member (TO)

& Ex-Officio Addl. Secy. (Communications),

संचार विभाग
(डाक-तार बोर्ड)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1970

ए.नं० ओ० 322:—स्थायी आदेश क्रमसंख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने रिवाड़ी टेलीफोन केंद्र में 1-2-1970 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[सं० 5-23/70-पी० एच० बी० (4)]

सी० ए० कोरनेलियस,

वरिष्ठ सदस्य (दूरसंचार प्रचालन) तथा

पदेन अतिरिक्त सचिव (संचार)।